रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 2010/अग्रहायण 16, 1932

No. 661] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2010/AGRAHAYANA 16, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 956(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि-योजना, 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना तैयार करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2010 है।

(2) ये योजना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. लोक भविष्य निधि योजना, 1968 के पैरा 9 के उप-पैरा (3) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के निमित्त 2005 की मई मास की 13 तारीख से पहले खोला गया खाता प्रारंभिक अभिदान किए गए वर्ष के अंत से पंद्रह वर्षों के समाप्त होने के पश्चात् बंद हो और अभिदाता के खाते की समग्र राशि उसके द्वारा लिए गए ऋणों पर अभिदाता से किसी बकाया ब्याज संबंधी समायोजन करने के पश्चात् यदि कोई हो, प्रतिदाय कर दी जाएगी। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के निमित्त खोले गए खातों की दशा में, जहां प्रारंभिक अभिदान किए गए वर्ष के अंत से पंद्रह वर्ष पहले ही पूरे हो गए हैं, उन्हें चालू वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च, 2011 को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के खाते में जमा समग्र राशि उसके द्वारा लिए गए ऋणों पर अभिदाता से बकाया ब्याज संबंधी समायोजन, यदि कोई हो, करने के पश्चात् प्रतिदाय कर दी जाएगी।"

[फा. सं. एफ. 7/4/2008-एनएस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पणी : इस योजना को सा.का.नि. 1136(अ), तारीख 15-6-1968, के द्वारा अधिसूचित किया गया है और सा.का.नि. 368(अ), तारीख 1-8-72, सा.का.नि. 217(अ), तारीख 9-3-79, सा.का.नि. 271(अ), तारीख 16-3-83, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 7-2-84, सा.का.नि. 895(अ), तारीख 23-6-86, सा.का.नि. 1013(अ), तारीख 6-7-99, सा.का.नि. 908(अ), तारीख 6-12-2000, सा.का.नि. 679(अ), तारीख 4-10-2002, सा.का.नि. 768(अ), तारीख 15-11-2002, सा.का.नि. 489(अ), तारीख 6-7-99, सा.का.नि. 908(अ), तारीख 6-12-2000,सा.का.नि. 679(अ), तारीख 4-10-2002 सा.का.नि. 768(अ), तारीख 15-11-2002, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 25-7-2003, सा.का.नि. 690(अ), तारीख 27-8-2003, सा.का.नि. 755(अ), तारीख 19-11-2004 और सा.का.नि. 291(अ), तारीख 13/5/2005 के द्वारा संशोधित किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2010

G.S.R. 956(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968 in paragraph 9, in sub-paragraph (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that an account opened on behalf of a Hindu Undivided Family prior to the 13th day of May, 2005, shall be closed after expiry of fifteen years from the end of the year in which the initial subscription was made and the entire amount standing at the credit of the subscriber shall be refunded, after making adjustments, if any, in respect of any interest due from the subscriber on loans taken by him. In the case of accounts opened on behalf of Hindu Undivided Family, where fifteen years from end of the year in which initial subscription was made, has already been completed, they shall also be closed at the end of the current year, i.e. the 31st day of March, 2011 and the entire amount standing at the credit of the subscriber shall be refunded, after making adjustments, if any, in respect of any interest due from the subscriber on loans taken by him."

[F.No. F. 7/4/2008-NS.II]

M. A. KHAN, Under Secy.

Note : The scheme was notified *vide* G.S.R. 1136(E), dated 15-6-1968 and amended *vide* G.S.R. 368(E), dated 1-8-72, G.S.R. 217(E), dated 9-3-79, G.S.R. 271(E), dated 16-3-83, G.S.R. 54(E), dated 7-2-84, G.S.R. 895(E), dated 23-6-86, G.S.R. 1013(E), dated 6-7-99, G.S.R. 908(E), dated 6-12-2000, G.S.R. 679(E), dated 4-10-2002, G.S.R. 768(E), dated 15-11-2002, G.S.R. 489(E), dated 6-7-99, G.S.R. 908(E), dated 6-12-2000, G.S.R. 679(E), dated 4-10-2002, G.S.R. 768(E), dated 15-11-2002, G.S.R. 585(E), dated 25-7-2003, G.S.R. 690(E), dated 27-8-2003, G.S.R. 755(E), dated 19-11-2004, and G.S.R. 291(E), dated 13-5-2005.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.